# महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर

फोन नं– 0151–2212046, ईमेल एड्रेस– comptroller@mgsubikaner.ac.in


## सफाई हेतु निविदा प्रपत्र-तकनीकी बिड

क्रमांकः–एफ.4( )स्टोर / मगसिविबी / सफाई / 2016 / दिनांक

| | | | |
|---|---|---|---|
| कार्य का नाम– | सफाई हेतु निविदा | निविदा फार्म एवं धरोहर राशि व निविदा शुल्क जमा करने की अवधि | 19.08.16<br>मध्यान्ह 01:00 बजे तक |
| निविदा कमांक– | | निविदा खोलने की तिथि | 19.08.16<br>मध्यान्ह 03:00 बजे |
| अनुमानित लागत<br>धरोहर राशि निविदा शुल्क | रू. 15,00,000/-<br>रु. 30,000/-<br>रू. 400/- | | |

विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों एवं परिसर की साफ–सफाई का कार्य ठेके (जॉब बेसिस पर) पर दिये जाने हेतु निविदा।

1. निविदादाता / फर्म का नाम : ..........................................
2. निविदादाता का पता : .......................... ..........................................
3. मोबाईल / दूरभाष न. : ..........................................
4. निविदा शुल्क : डी.डी / रसीद संख्या ...................... दिनांक...............
5. पैन न0. : ..........................................
6. श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत : क्रमांक.......................... दिनांक..........................
   (सत्यापित प्रति संलग्न करे, श्रम विभाग में पंजीकरण के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी)
7. पूर्व कार्य अनुभव : ..........................................
   (प्रमाण सहित यदि कोई हो तो
8. धरोहर राशि 30,000 / --(अखरें रूपयें चौबीस हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट संख्या / बैंकर्स चैक संख्या ... ................दिनांक....................या नगद रसीद संख्या ......................दिनांक..........................संलग्न किया गया है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

# महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर

फोन नं– 0151–2212046, ईमेल एड्रेस– comptroller@mgsubikaner.ac.in


## सफाई हेतु निविदा प्रपत्र-वित्तीय बिड

**निविदा कमांक–**

1. निविदादाता / फर्म का नाम : ..........................................................

2. निविदादाता का पता : ..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

3. मोबाईल / दूरभाष न. : ..........................................................

4. सेवा का प्रकार :–

| कार्य का विवरण | निविदादाता द्वारा दी जाने वार्षिक ठेके की राशि (समस्त कर मय सेवा कर आदि सहित) मय सामग्री वं संसाधन एवं अन्य समस्त व्यय राशि अंको में एव शब्दों में |
|---|---|
| कुलपति सचिवालय, प्रशासनिक भवन, परीक्षा भवन, नवीन परीक्षा भवन (सेलर), एकेडमिक भवन प्रथम, एकेडमिक भवन द्वितिय, अतिथि–गृह, निदेशक शोध भवन, खेलकुद भवन, डीन छात्र वेलफेयर भवन, लाइब्रेरी, कुलपति निवास ।<br>**उक्त समस्त परिसर व सडक सहित साफ–सफाई का कार्य** | |

नोटः– विश्वविद्यालय द्वारा अलग से कोई कर या सेवाकर देय नहीं होगा

**हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर**

# महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर
फोन नं– 0151–2212046, ईमेल एड्रेस– comptroller@mgsubikaner.ac.in


## विश्वविद्यालय के भवनों एवं समस्त परिसर के साफ–सफाई कार्य हेतु आमंत्रित निविदा के प्रतिबंध एवं शर्ते

1. निविदादाता द्वारा निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से एक बड़े लिफाफे में (दोनो मुहरबंद लिफाफों सहित) मोहरबंद करके दिनांक 19.08.16 को मध्यान्ह 01:00 बजे तक वित्त नियंत्रक कक्ष में प्रस्तुत की जानी चाहिए । प्रथम सीलबंद लिफाफे में निविदा शर्तानुसार तकनीकी बिड प्रपत्र भरते हुए, निविदा के अनुरूप तकनीकी पात्रता हेतु समस्त वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में "सफाई कार्य हेतु प्रस्तुत-तकनीकी बिड" अंकित करते हुए प्रस्तुत करनी होगी । दूसरे सीलबंद लिफाफे में निविदा शर्तानुसार वित्तीय बिड प्रपत्र भरते हुए, निविदा के अनुरूप वित्तीय पात्रता हेतु लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में "सफाई कार्य हेतु प्रस्तुत-वित्तीय बिड" अंकित करते हुए प्रस्तुत करनी होगी । दोनों लिफाफों को निविदादाता द्वारा डबल बिड सिस्टम के अंतर्गत उचित रूप से एक सीलबंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट अक्षरों में सफाई कार्य हेतु निविदा अंकित हो ,प्रस्तुत करनी होगी तब ही स्वीकार की जायेगी । तकनीकी रूप से पात्र पायी गयी फर्म की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी ।

2. ठेकेदार को केन्द्रीय सरकारी कार्यालय / राज्य सरकारी कार्यालय / पीएसयू / विश्वविद्यालय भवनों में सफाई कार्य व्यवस्था का गत तीन वर्षों में कम से एक वर्ष का रूपये पांच लाख की लागत का कार्य करने का का अनुभव होना चाहिए । संबधित विभाग / संस्था से प्रमाणित अनुभव प्रमाण–पत्र निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
3. निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
4. ठेकेदार सफाई के कार्य का ठेका अन्य किसी दूसरी फर्म / व्यक्ति को सब्लेट नहीं कर सकेगा ।
5. विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गये निर्धारित प्रपत्र एवं निर्धारित अवधि में प्राप्त होने वाली निविदायें ही स्वीकार की जावेगी ।
6. धरोहर राशि 30,000 डिमाण्ड ड्रफ्ट / बैंकर चैक / नगद के माध्यम से जमा करावें इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
7. सफल ठेकेदार को निविदा स्वीकृति के सात दिवस में निविदा राशि की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभुति राशि के रूप में आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय कोष में जमा करवानी होगी संवेदक के अनुरोध पर धरोहर राशि का प्रतिभूति राशि में समायोजन किया जा सकेगा प्रतिभूति राशि अनुबंध संतोषप्रद ढंग से सम्पादित होने की स्थिति में अनुबंध अवधि की समाप्ति की तिथी से एक माह पश्चात् लिखित प्रार्थना पत्र पर लौटाई जा सकेगी । प्रतिभूति राशि पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा । कार्य के दौरान ठेके की शर्तों का उल्लघन करने पर निविदादाता के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । कार्य के दौरान निरन्तर शर्तों का उल्लघन करने पर अनुबंध समाप्त कर अन्य फर्म को कार्यादेश देने या अन्य फर्म से कार्य करवाने पर विश्वविद्यालय को हुई हानि संबधित संवेदक से वसूल की जाएगी एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी ।

# महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर

फोन नं– 0151–2212046, ईमेल एड्रेस– comptroller@mgsubikaner.ac.in


8. प्रतिभूति निक्षेप को समपहरण–प्रतिभूति की रकम या निम्नलिखित प्रकरणो में पूर्णतः समपहरण किया जा सकेगा।

   (क) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तो को भंग किया जाता है।

   (ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से पूर्ण प्रदाय करने में विफल रहता है।

   (ग) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले मे उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा इस संबंध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

9. एक से अधिक निविदादाताओं की दरें समान होने पर सफाई कार्य में अनुभवी फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी या एक से अधिक फर्मों में कार्य आवंटित किया जा सकेगा ।
10. विधिमान्यताः– निविदाएं खोले जाने की तारीख से 90 दिवस तक ही कालावधि हेतु विधि मान्य होगी ।
11. निविदा में दरें अंको एवं शब्दों दोनों मे स्पष्ट अंकित करें ।
12. निविदा में दी गई दर में किसी प्रकार की काट–छांट नही होनी चाहिए। किसी कारण काट–छांट की गई तो उस पर पूरे हस्ताक्षर ठेकेदार के होना आवश्यक है अन्यथा उसके अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
13. निविदा में निविदादाता द्वारा कोई शर्त अंकित नहीं की जाएगी एवं शर्त युक्त निविदा निरस्त योग्य होगी ।
14. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का विश्वविद्यालय प्रशासन को पूर्ण अधिकार होगा।
15. अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए मान्य होगी। जिसे परस्पर सहमति से नियमानुसार बढाया जा सकता है।
16. सेवा के दौरान हुई किसी भी हानि,चूक,एवं भूल क्षतिपूर्ति एवं कानूनी दायित्वों का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। हानि की राशि ठेकेदार के भुगतान से काट ली जाऐगी ।
17. निम्न कारणों से ठेकेदार द्वारा प्रदत धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी :–

   (क) आदेशित सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर ।

   (ख) निविदादाता द्वारा निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकृत करने से पूर्व प्रस्ताव वापिस लेने अथवा उसमें परिवर्तत करने पर ।

   (ग) निर्धारित समय के भीतर अनुबंध नहीं करने पर ।

   (घ )निर्धारित अवधि में प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराने पर ।

18. सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में 1000 रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य आदेश के सात दिवस में करार पत्र निष्पादन करना होगा।
19. यदि निविदादाता द्वारा निविदा की शर्तो के अनुसार कार्य निष्पादित नही किया जाता है तो शेष कार्य निविदादाता की जोखिम पर अन्य ठेकेदार से कार्य करवाया जा सकेगा तथा इससे हुई हानी की वसूली निविदादाता से की जाएगी ।
20. सफाई संबधी उतम क्वलिटी की समस्त सामग्री यथा फिनाईल, साबुन, मिट्टी का तेल, ओडोनिल, फिनायल की गोली, तेजाब, वासिंग पावडर, झाडू, टिनापोल, बांस की झाडू, पोचे,

# महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर
फोन नं– 0151–2212046, ईमेल एड्रेस– comptroller@mgsubikaner.ac.in

ब्रश, वाईपर, आदि की व्यवस्था ठेकेदार को स्वंय करनी होगी। सफाई यंत्र जैसे वैक्यूम क्लीनर, पौचा लगाने की मशीन या सफाई यंत्रों की जहां आवश्यकता हो उनकी व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी **जिसके लिए विद्युत नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी । झाडु लगाना, फर्श की धुलाई करना,** खिड़कीयां, दरवाजों, जालियों,**छतों एवं दीवारों आदि की dusting व कचरा निर्धारित स्थान पर डालने का समस्त कार्य प्रतिदिन करना होगा ।** इसके अतिरिक्त जालों की सफाई, **खिडकियों की बाहरी तरफ से सफाई** आदि तथा अन्य सफाई कार्य जो विश्वविद्यालय द्वारा उचित समझा जाए, वह भी इस कार्य में सम्मिलित होंगे । विश्वविध्यालय के सफाई कार्य के लिए नि:शुल्क पानी की व्यवस्था सामान्यत: विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है, परन्तु किन्ही कारणों से यदि पानी की उपलब्धता नहीं होने पर, निविदादाता को अपने स्तर से पानी की व्यवस्था करके सफाई कार्य करवाना होगा जिसके लिए अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा । सफाई सम्बन्धी समस्त भवनों में सामग्री में कमी पाए जाने पर उक्त सामग्री विश्वविध्यालय द्वारा स्थानीय बाज़ार से क्रय कर ली जायेगी तथा उस पर होने वाले व्यय को ठेकेदार द्वारा प्रेषित बिल में से काट लिया जाएगा ।

21. **विश्वविद्यालय में पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यकमों के लिये भवनों एवं सडकों के सफाई कार्य की जिम्मदारी ठेकेदार की होगी जिसके लिये निर्देशानुसार अतिरिक्त सफाई कर्मचारी लगवाकर इस कार्य को संपादित करने का पुर्ण दायितय ठेकेदार का होगा । इस कार्य के लिये पृथक से विश्वविद्यालय द्वारा कोई भुगतान देय नहीं होगा ।**
22. ठेकेदार को विश्वविद्यालय भवनों एवं परीसर में पूर्ण रूप से स्वच्छता रखनी होगी । प्रत्येक भवन के गलियारों एवं सभी कक्षों में फिनायल सहित पौचा लगाना आवश्यक होगा । प्रतिदिन टार्यलेटस् की विशेष रूप से हार्पिक्स, फिनॉयल आदि के द्वारा सफाई करनी होगी । टायलेट के चेंम्बर तथा ब्लाकेज आने पर आवश्यक सफाई कार्य एवं उनको दुरस्त करने का कार्य भी ठेकेदार का होगा ।
23. **ठेकेदार द्वारा सप्ताह में एक दिन प्रत्येक भवन के चारों तरफ से झाडियां काटकर सफाई करना अनिवार्य होगा तथा काटी गयी झाडियों को एक स्थान पर एकत्रित कर जलाना सुनिश्चित करना होगा । साथ ही माह में एक बार विश्वविद्यालय की समस्त सडकों की भी सफाई करना अनिवार्य होगा ।**
24. प्रत्येक भवन में सफाई हेतु कम से कम एक कर्मचारी प्रातः 8 बजे से सांय 4 बजे तक उपस्थित रहेगा । प्रत्येक भवन हेतु उक्त कर्मचारी नियमित रूप से उपस्थित रहकर विश्वविद्यालयों के अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्य का संपादन करेगा जिनसे प्रमाणीकरण के पश्च्यात ही बिल का भुगतान किया जाएगा । प्रत्येक भवन के लिए इस तरह कार्यरत रहने वाले सफाई कर्मियों को श्रम नियमों के अनुरूप वेतन, पी.ऍफ़, ई. एस आई, एवं अन्य देय सुविधाएँ निविदादाता द्वारा ही वहन की जायेंगी । समय-समय पर श्रम एवं अन्य नियमों के अनुरूप मजदूरी, कर आदि की दरों में हुई बढोतरी का भुगतान भी फर्म को करना होगा एवं जिसका अतिरिक्त भुगतान विश्वविध्यालय द्वारा नहीं किया जाएगा । श्रम नियमों तथा कर नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए श्रमिकों को देय मजदूरी तथा श्रमिकों के लिए किये गए पी.एफ, ई.एस.आई आदि भुगतान एवं समय समय पर लागू करों (यथा सेवा कर, वैट आदि) के भुगतान

# महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर

फोन नं– 0151–2212046, ईमेल एड्रेस– comptroller@mgsubikaner.ac.in


**के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को आवश्यक्तानुसार दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे जिसके अभाव में बिल का भुगतान रोक दिया जाएगा जिसके लिए संवेदक स्वयं ज़िम्मेदार होगा ।**

25. सफाई की व्यवस्था के लिये कुलसचिव अथवा नामंकित अधिकारी/संपदा अधिकारी/प्रभारी कुलपति निवास महाराजा गंगासिह विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये समस्त आदेशों की ठेके के अनुरूप शर्तों की पालना ठेंकेदार को करनी होगी तथा बिना किसी विवाद के ठेकेदार को कार्य करना हेागा।
26. ठेके की अवधि के दौरान विवादास्पद स्थिति में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम एवं ठेकेदार को मान्य हेागा ।
27. ठेकेदार द्वारा लगाये गये सफाई कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रतिदिन तथा अवकाश के दिनों में भी साफ–सफाई का कार्य करना होगा। किसी भी परिस्थिति में अथवा कारण से साफ–सफाई कार्य बंद नही किया जा सकेगा । ठेकेदार और सफाई कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति हो जाने पर भी ठेकेदार को अन्य सफाई कर्मचारी की सहायता से सफाई कार्य यथा समय कराना होगा । सफाई नहीं होने की स्थिति में ऐसे दिवसों का भुगतान नहीं होगा और बिल से अनुपातिक राशि की कटौती कर ली जाएगी ।
28. सफाई के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना या उनके द्वारा सफाई हेतु लगाये गये सफाई कार्मिकों द्वारा की गयी चोरी, आग, दुराचरण एवं क्षति आदि की क्षतिपूर्ति के लिये संवदेक जिम्मेदार होगा ।
29. ठेकेदार द्वारा सप्ताहिक कार्य संपादित कर प्रति सप्ताह के मंगलवार को सभी भवन प्रभारियों द्वारा कार्य पुष्टिकरण बाबत रिपोर्ट प्राप्त करते हुये मासिक बिल भण्डार अनुभाग में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा । भवन प्रभारीयों द्वारा प्रदत्त असंतोषप्रद टिप्पणी के आधार पर अनुपातिक रूप से प्रति दिवस प्रति भवन की शास्ति प्रेषित बिल में से काटकर भुगतान की आगामी कार्यवाही की जायेगी ।
30. समस्त विधिक कार्यवाही का क्षेत्र बीकानेर शहर में स्थित न्यायालय ही होगा ।
31. अनुबंन्ध की शर्तों के अनुरूप यदि सेवाएँ सन्तोषप्रद नहीं रही तो सात दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त कर दिया जाऐगा और धरोहर/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी ।
32. निविदा में अंकित दरों के अतिरिक्त किसी भी कर/प्रतिकर का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा एवं कर संबंधी किसी भी वैधानिक दायित्व की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी ।
33. उक्त शर्तों के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो राज्य सरकार के सामान्य वितीय एवं लेखा नियमों की शर्तें इस निविदा पर लागू होगी।

1. **धरोहर राशि:–**

    (i) निविदा के साथ धरोहर राशि के 30,000/– रूपए नकद राशि या डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा जमा होनी चाहिये जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पक्ष में जमा करायी जानी चाहिये।

    (ii) धरोहर राशि निविदा के अंतिम रूप से स्वीकार किये जाने एवं अनुबंध हो जाने के बाद यथाशीघ्र विफल निविदादाता को प्रत्यार्पित कर दी जायेगी। सफल निविदाकारों को करार के समय सामग्री मुल्य की पॉच प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी, जिसमें उनके द्वारा जमा धरोहर राशि का समायोजन कर लिया

# महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर
फोन नं– 0151–2212046, ईमेल एड्रेस– comptroller@mgsubikaner.ac.in


जावेगा शेष प्रतिभूति राशि भी नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी होगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(iii) राजस्थान के लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों को निदेशक उद्योग विभाग द्वारा जारी किए पंजीयन प्रमाण–पत्र, क्षमता प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर 0.5 प्रतिशत धरोहर राशि ली जाएगी तथा आदेशित मूल्य 1 प्रतिशत प्रतिभूति राशि ली जावेगी।

(iv) केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार के उपकमों से उपरोक्तानुसार धरोहर राशि तथा प्रतिभूति निक्षेप देने की अपेक्षा नहीं की जावेगी।

**<u>निविदा की स्वीकृति, अनुबंध एवं प्रतिभूति राशिः–</u>**

(i) किसी भी निविदा को स्वीकार करने में महाराजा गंगासिहं विश्वविद्यालय, बीकानेर के लिए आवश्यक नहीं है कि वह न्युनतम दर की निविदा हो।

(ii) विश्वविद्यालय के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। जिन वस्तुओं के लिए निविदा की गयी है, उनकी पूर्ण मात्रा या उसके किसी भाग के लिए विश्वविद्यालय की ईच्छानुसार आदेश दिए जा सकते हैं तथा विशेष परिस्थिति में सामग्री की विश्वविद्यालय में पचास प्रतिशत तक वृद्धि एवं कमी की जा सकती है।

(iii) सफल निविदादाताओं को अपने खर्चे पर निविदा स्वीकार करने की सूचना जारी होने के दस दिवस में निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगीः–

1. जिसमें निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार निर्धारित राशि के रू के 1000 नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादित करना होगा।
2. संविदा के यथावत कियान्विती के लिए प्रस्तावित कार्यादेश के मूल्य के 5 प्रतिशत बराबर प्रतिभूति राशि नगद/ड्राफ्ट द्वारा तीन दिवस में जमा करानी होगी। यदि निविदादाता विहित कालावधि में प्रतिभूति राशि जमा कराकर करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबंधनों तथा शर्तों का भंग होना माना जाएगा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। तदुपरान्त बिना नोटिस अन्य निविदादाताओं को कय आदेश देने का अधिकार होगा। प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग इकाई को शर्त संख्या 2 के (iii) में वर्णित सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर सफल निविदादाता को नियमानुसार छूट दी जावेगी। प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

(iv) निबंधनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर केता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः प्रतिभूति राशि जब्त करली जावेगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय का विनिश्चय ही अंतिम होगा।

(v) प्रतिभूति राशि बिलों का अंतिम भुगतान हो जाने एवं समस्त संबंधितों से संतोषप्रद कार्य की सूचना प्राप्त होने एवं संविदा की कार्यावधि पूर्ण होने के पश्चात् के धरोहर/प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी, ऐसी प्रतिभूति राशि पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

(vi) धरोहर राशि अथवा प्रतिभूति राशि का विप्रेक्षण व्यय (रिमिटेंस चार्जेज) संविदादाता द्वारा वहन किए जाऐंगे।

# महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर

फोन नं– 0151–2212046, ईमेल एड्रेस– comptroller@mgsubikaner.ac.in


34. कार्य की प्रकृति के आधार पर लागू होने वाले समस्त नियम–कानूनों की पालना ठेकेदार को करनी होगी।
35. संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को माननीय कुलपति को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।
36. समस्त विधिक कार्यवाहियॉं, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (विश्वविद्यालय या ठेकेदार) द्वारा बीकानेर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जा सकती।
37. इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख उपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी
38. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने किसी भी निविदा के बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने और किसी भी निविदा को रद्द करने या किसी या अधिक वस्तुओं जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक के अधक वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं ।
39. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों एवं उपरोक्त बिन्दुओं को पढकर हस्ताक्षर कर दियें है । हम इनका पूर्ण रूप से पालन करनें के लिए सहमत है ।

हस्ताक्षर निविदादाता

मैसर्स....................................................................